UPLK010214802025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन०आई०ए०/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–3, लखनऊ।

पीठासीन अधिकारीः– जैनेन्द्र कुमार पाण्डेय (एच०जे०एस०), जे०ओ० कोड नं०–यू०पी० 2398

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–10365/2025

प्रोदीप विश्वास पुत्र प्रोवेश विश्वास उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी–ग्राम– तेंगरा, थाना– सिलिन्द्रा नाडिया, पश्चिम बंगाल।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य **.....अभियोगी।**

मु०अ०सं०–159/2024,
धारा–318(4),319(2) बी०एन०एस० व
धारा–66D आई०टी० ऐक्ट
थाना–साइबर क्राइम, जनपद–लखनऊ।

06.01.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त प्रोदीप विश्वास की ओर से अग्रिम जमानत **(Anticipatory Bail)** हेतु प्रस्तुत आवेदन पर उसके विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा सम्बन्धित थाने पर एक तहरीर इस अभिकथन के साथ प्रस्तुत की गई कि "प्रार्थी के पास दिनांक 30.07.2024 को एक व्हाट्सएप ग्रुप (NO6 FUTURE CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT GROUP M STOCK) में मुझे मो०नं०–7757897660 से जोड़ा गया, जिस ग्रुप में स्टक ट्रेडिंग में अच्छा रिटर्न देने का आश्वासन दिया गया, जिसमें ट्रेडिंग करने के लिये उनके द्वारा दिये गये बैंक में पैसे डिपाजिट करने थे। जिसकी ग्रुप एडमिन (KRUTI) का मो०नं०–7219792170 है। KRUTI ने बताया कि रवि अग्रवाल मो०नं० 8734017655 से आप फण्ड डिपोजिट करने के लिये सम्पर्क करें। रवि द्वारा मुझे एक अन्य ग्रुप मे जोड़ा गया जिसका नाम 39m stock by Mirae Asset Customer Service GWEY है, जिसमें फण्ड डिपोजिट व अकाउण्ट डिटेल शेयर किये जाते थे। इसके बाद रवि अग्रवाल ने एक एप का लिंक (https:/app mstock.cc/) दिया गया, जिसमें MStock का लोगो लगा हुआ था। जिनमें मैंने कुल 66 लाख 93 हजार, 9 ट्रांजेक्शन के माध्यम से उनके द्वारा बताये गये कुल 07 खातों में भेजे। दिनांक–12.09.2024 को जब मैंने 50 लाख रुपये निकालने का प्रयास किया तो उनके द्वारा निरस्त कर दिया गया, तब मुझे समझ आया कि मेरे साथ साइबर ठगी हुई है। जिसके बाद मैंने 16.09.2024 को साइबर क्राइम के ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज की, जिसका ACKNO. 23109240110000 है। मैंने 66,93,000/– रुपये का ट्रांजेक्शन उनके द्वारा दिये गये विभिन्न खातों में किया , जिसका विवरण निम्नवत् है 1. मैंने अपने खाता सं० 0423000100306926 PNB से दिनांक 16.08.2024 को 10,000/– खाता सं० 924020001434825 एक्सिस बैंक में, 2. मैंने अपने खाता सं० 0423000100306926 PNB से दिनांक 27.08.2024 को 1,40,000/– खाता, सं० 20100031375482 बन्धन बैंक में 3. मैंने अपने खाता सं० 126401000193 ICICI से दिनांक 28.08.2024 को 2,20,000/– खाता सं० 60385737719 बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, 4. मैंने अपने खाता सं० 0762010100038341 PNB से दिनांक 21.08.2024 को 10,000/– खाता सं० 924020001434825 एक्सिस बैंक में 5. मैंने अपने खाता सं० 0762010100038341 PNB से दिनांक 22.08.2024 को 1,30,000/– खाता सं० 924020001434825 एक्सिस बैंक में, 6. मैंने अपने खाता नं० 0762010100038341 PNB ने दिनांक 03.09.2024 को 11,13,000/– खाता सं० 50909199727 IDFC FIRST बैंक में, 7. मैंने अपने खाता सं० 0762010100038341 PNB से दिनांक 09.09.2024 का 17,50,000/– खाता सं० 4524020001133343 JANA SMALL FINANCE BANK में, 8. मैंने अपने खाता सं० 0762010100038341 PNB से दिनांक 13.09.2024 को 10,70,000/– खाता सं० 06630210002643 UCO BANK में, 9. मैंने

अपने खाता सं० 2414000501312681 PNB से दिनांक 09.09.2024 को 22,50,000/– खाता सं० 20100031359872 बन्धन बैंक में भेजे गये। प्रार्थी का श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है की प्रार्थी की प्रार्थना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखकर उचित धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही करने का कष्ट करें और मुझे मेरा पैसा दिलाने में मदद करें, जिसके लिए प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा।"

3. वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना–साइबर क्राइम, जनपद–लखनऊ में मुकदमा अपराध संख्या–159/2024 धारा–318(4),319(2) बी०एन०एस० व धारा–66D आई०टी० ऐक्ट के तहत पंजीकृत हुआ। विवेचना अमल में लाई गई।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में संक्षेप में यह कथन किया गया है कि उसका यह उसका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है और न ही उसका नंबर शिकायतकर्ता को धोखा देने के लिए प्रयोग हुआ है। उसे मामले की जानकारी तब हुई जब दिनांक–27.10.2024 को पुलिस द्वारा उसे बी०एन०एस०एस० की धारा–35(3) की नोटिस प्राप्त हुई। वह निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वह खुद साइबर ठगी से पीड़ित है। वह न तो लाभार्थी है और न ही उसके खाते में पैसे भेजने अथवा उसके द्वारा उसका प्रयोग करने सम्बन्धी कोई साक्ष्य है। वह विवेचना में सहयोग करेगा। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत आवेदनों का विरोध करते हुए मुख्यत: यह कहा गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर मामले से सम्बन्धित घटना कारित की गई है। अपराध गम्भीर है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाये।

6. यह आवेदन धारा–482 बी०एन०एस०एस० के तहत अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. प्रार्थी/अभियुक्त प्रोदीप विश्वास प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। मामले में प्रार्थी/अभियुक्त की कोई विशिष्ट भूमिका दर्शित नहीं की गई है। आरोपित अपराध सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है। उक्त के अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त का अन्य किसी आपराधिक मामले में वांछित होना नहीं बताया गया है।

8. उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों में निर्णय विधि **सत्येन्द्र कुमार अन्टिल (2021) 10 एस०सी०सी०–773 व 2022 LiveLaw (SC) 577, 2023 LiveLaw (SC) 233** में दी गयी व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त प्रोदीप विश्वास को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

9. प्रार्थी/अभियुक्त **प्रोदीप विश्वास** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने/आत्मसमर्पण करने की दशा में उसके द्वारा मु० 75,000/– रूपये का निजी बन्धपत्र व इसी धनराशि की दो प्रतिभू न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप अथवा गिरफ्तार किये जाने की दशा में उसके द्वारा मु० 75,000/– रूपये का निजी बन्धपत्र व इसी धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित विवेचक/थानाध्यक्ष की संतुष्टि के अनुरूप निम्न शर्तो के अधीन प्रस्तुत करने पर कि–

1. वह विवेचना के दौरान सहयोग करेगा और विवेचक द्वारा अपेक्षा करने पर पूछताछ हेतु सदैव उपस्थित होगा।
2. वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरण, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।
3. वह न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
4. वह ऐसा कोई अपराध, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है, नहीं करेगा।
5. किसी भी साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा, न ही साक्षीगण को डरा–धमका कर प्रभावित करेगा।

प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

10. इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित विवेचक/थानाध्यक्ष को भेजी जाये।

दिनाँक–06.01.2026

(जैनेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश एन०आई०ए०/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–3, लखनऊ।
जे०ओ०कोड– यू०पी० 23

Digitally signed by JAINENDRA KUMAR PANDEY
Date: 2026.01.06 16:43:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court